16 NOV 2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी का लेने के मना के नोट के साथ प्राप्त है जो शामिल पत्रावली है। नोटिस पर दो स्वतंत्र गवाहान की शहादत प्रोसेस सर्वर द्वारा पेश की गई। अतः अप्रार्थी की प्रोपर तामील मानी जाती है। अप्रार्थी हाजिर नहीं। आवाज लगवाई गई। हाजिर नहीं। अप्रार्थी बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया जाता है। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा बहस प्रार्थना पत्र का निवेदन किया गया। इस पर हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का चिंतन-मनन किया। न्यायालय हाजा द्वारा विपक्षी की खातेदारी आराजीयात के खनन प्रयोजनार्थ मुआवजा राशि का निर्धारण किया जा चुका है एवं प्रार्थी कम्पनी न्यायालय निर्णयानुसार मुआवजा राशि का भुगतान विपक्षी को किये जाने हेतु तैयार एवं तत्पर है किन्तु विपक्षी द्वारा मुआवजा राशि के चैक प्राप्त नहीं किये गये एवं बावजूद नोटिस के अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये ऐसी स्थिति में प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट को स्वीकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं प्रकरण माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ को प्रेषित किये जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् सिविल डिपोजिट को स्वीकार किया जाता है एवं न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 066/2020 (रे.वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम शम्भुलाल वगैराह अन्तर्गत धारा 89 (04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्णय दिनांक 19.01.2021 से आराजीयात जैरबहस के खनन प्रयोजनार्थ निर्धारित मुआवजा राशि रूपये 5701382/- अक्षरे सत्तावन लाख एक हजार तीन सौ बियासी रूपये मात्र विपक्षी द्वारा प्राप्त नहीं करने से मुआवजा राशि माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ को प्रकरण प्रेषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा से पत्रांक/राजस्व/2021/1006 दिनांक 20.10.2021 से प्राप्त चैक जो कि विपक्षी शम्भुलाल पिता देवा के नाम पर जारी किया गया है को प्रार्थी कम्पनी को लौटाया जावें एवं निर्धारित मुआवजा राशि का सिविल डिपोटिज हेतु नवीन चैक जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ के नाम से प्रस्तुत किये जाने हेतु तहरीर जारी करें पत्रावली बाद पालना नवीन चैक प्राप्त होने पर पुनः पेश हों।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़
16 NOV 2021